UPHR010013862026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P.05728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–610/2026

लवलेश पुत्र रामदत्त निवासी ग्राम तुलसीपुर मजरा भरावन, थाना अतरौली, जिला हरदोई।

----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

सरकार---------- विपक्षी/अभियोगी।

दिनांक–19.03.2026

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त लवलेश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 454/2025, धारा 85, 80(2) बी०एन०एस० एवं 3/4 दहेज प्रति०अधि०, थाना अतरौली, जिला हरदोई में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार कीर्ति पाल का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा दिनेश पाल द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसने अपनी पुत्री मनीषा देवी की शादी लवलेश पाल के साथ अपनी तथानुसार दहेज देकर दिनांक 10.02.2022 को किया था। जिसके एक लड़की कु०मान्या है, शादी के बाद से मेरी पुत्री अपनी ससुराल में सुचारू रूप से गुजर बसर करती चली आ रही थी। उसकी दूसरी पुत्री कु०रंजना पाल की शादी तय कर दिया हूं। अपनी पुत्री रंजना को दहेज के रूप में चार पहिया वाहन देना सुनिश्चित कर दिया हू। इसी चक्कर में उक्त लवलेश, रामदत्त, गुलाबा व रूबीपाल सब ने चार पहिया वाहन न मिलने के कारण दिनांक 12.12.2025 को मेरी पुत्री मनीषा देवी को जान से मार कर पंखे पर लटका दिया।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किया कि वह दिनांक 19.12.2025 से जिला कारागार हरदोई में निरूद्ध है। उसके ऊपर जो भी आरोप लगाये गये हे वह मिथ्या, कल्पित एवं निराधार है उसके द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है वह पूर्णरूप से निर्दोष है। अभियुक्त ने न तो कभी वादी मुकदमा की पुत्री को

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.19 17:01:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मारापीटा और न ही कभी कोई दहेज की मांग किया कथित घटना के पूर्व वादी की पुत्री को कभी कोई शिकायत नही रही जैसा कि वादी ने स्वयं अपनी तहरीर में कहा है। कथित घटना वाले दिन अभियुक्त घर पर नही था वह पशु चिकित्सक (डा० साहब) के कहने के मुताबिक ग्राम जाजूपुर पशु गर्भाधान के सम्बन्ध में गया था। अभियुक्त की शादी बिना दहेज के सरकारी समुह द्वारा हुई थी क्योकि दोनो पक्षो की आर्थिक स्थित कमजोर थी वादी मुकदमा ने अभियुक्त के ऊपर आरोप लगाया है कि चार पहिया गाड़ी की मांग करने लगे जो निराधार एवं असत्य है। वादी मुकदमा ने अपनी छोटी पुत्री रंजना की शादी में चार पहिया गाड़ी देने की कोई बात नही किया था मात्र अभियुक्त को फंसाने के लिये उक्त बात लिखायी गयी है। वादी मुकदमा चरित्रहीन व्यक्ति है पहली पत्नी के होने के बावजूद भी अन्य महिला से सम्बन्ध बनाता था इन्ही सभी बातो को लेकर वादी मुकदमा दिनेश व उसके भाई की आपस में बनती नही थी। मृतिका मनीषा ने भी अपने पिता को काफी समझाया कि पापा इस उम्र में आपको ऐसा शोभा नही देता है जिस पर उसके पिता ने कहा कि हम अपने शरीर के स्वयं मालिक है आप अपना घर देखिये इन्ही सभी बातो को लेकर मृतका अपने आपसे मानसिक रूप से परेशान रहती थी। घटना के 1 दिन पहले मृतका ने अपने पिता से फोन किया था और काफी नाराजगी में बात कर रही थी कि तुम ऐसा काम कर रहे हो कि हम लोग भी कही मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगे। मृतका ने इन्ही सब बातो को लेकर दिनांक 12.12.2025 को परिवार के सदस्यो की अनुपस्थिति में कमरे में जाकर अन्दर से कुन्डी बन्द करके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के मायके वाले छोटक्कू (चाचा) भगवती (बाबा) कमला (दादी) एवं गया प्रसाद के सामने कुन्डी खोली गयी थी। उसका कोई अपराधिक इतिहास नही है। वह सर्वथा निर्दोष व बेकसूर है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– प्रत्युत्तर में जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है तथा आवेदक/अभियुक्त ने अपने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका व वादी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज की माँग की और दहेज की माँग को लेकर आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सह–अभियुक्त ने मिलकर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर अस्वाभाविक रूप से फाँसी पर लटकने से हुई है। चिकित्सक द्वारा मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व फाँसी पर लटकने से उत्पन्न दम घुटने के कारण होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– मैंने आवेदक/अभियुक्त व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

7– जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रसांगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रो को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आवेदक/ अभियुक्त नामजद अभियुक्त है व मृतका का पति है, मृतका

की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर आसामन्य परिस्थितियों में हुई है। मामला दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित है, जो कि आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है।

8– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त लवलेश की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः19.03.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।